



जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का न्यायालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सी०सी०ए० केस सं०-०२/१६-१७
राज्य -बनाम- सुमित यादव उर्फ कल्लू

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक:-४९२/डी०सी०बी०, दिनांक:-३१/०३/२०१६ द्वारा अपराधकर्मी सुमित यादव उर्फ कल्लू, पे०-शिवशंकर यादव उर्फ मुन्ना, सा०-खुंटाडीह, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-३(३)(a) के अन्तर्गत जिला निष्कासन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है।</p> <p>विपक्षी सुमित यादव उर्फ कल्लू को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग की गई। अनेक तिथियों के बाद भी नोटिस का तामिला अप्राप्त रहा, जिसके फलस्वरूप विपक्षी सुमित यादव उर्फ कल्लू इस न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ है।</p> <p>अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा-३(३)(a) के तहत कार्रवाई करना संभव नहीं है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। तदनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचित करें।</p> <p>(लेखापित)</p> <p> जिला दण्डाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p> <p> जिला दण्डाधिकारी पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	